न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर [illegible])
राजस्व प्रकरण संख्या 145 / 2021

उनवान

1 जसवंत सिंह पुत्र भगवान सिंह
2 दुर्गा देवी पत्नी भगवान सिंह
3 बलवंत सिंह पुत्र भगवान सिंह
4 लाजवती पुत्री भगवान सिंह
5 विरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह
6 सुशीला पुत्री भगवान सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम नसीराबाद, अजमेर

--- वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।
2 रामचन्द्र पुत्र चतरा
3 रामपाल पुत्र नोन्दा
4 लक्ष्मण पुत्र दीपा जाति बैरवा निवासी ग्राम धोलादाता देराठू, नसीराबाद

— प्रतिवादीगण — 1 राज0 पैरोकार
2 से 4 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :- दिनांक :- 15.2.22

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर प0म0 देराठू तहसील नसीराबाद की निम्न आराजी वादीगण के पूर्वज की कयशुदा खातेदारी / काश्तकारी की है जिसका विवरण निमन प्रकार है –

चौसाला ख0न0	रकबा	वर्किंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
749	06–05–00	801	06–06–00	994	1.02
750 मिन	00–01–00				

आराजी के मूल खातेदार वर्किंग जमाबंदी मे रामपाल पुत्र नोन्दा, लक्ष्मण पुत्र दीपा, गणेश, चन्द्रा पि पूरा व रामचन्द्र पुत्र चतरा थे। वादीगण के पूर्वज भगवान सिंह पुत्र रामसुख गुर्जर ने जरिये पजीकृत विकय पत्र दिनाक 22.05.1958 को उक्त आराजी गणेश, चन्द्रा पि0 पूरा जाति बैरवा से सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर कय कर [illegible] से ही उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण / पूर्वज काबिज काश्त चले [illegible] रहे [illegible] भगवान सिंह के वारिस वादीगण ही है जिसमें से धीरेन्द्र की मृत्यु [illegible] लावल्द हो गया [illegible] वादीगण के पूर्वज ने उक्त विकय पत्र दिनाक 22.05.1958 द्वारा आराजी [illegible] के [illegible] धोलादाता देराठू [illegible] अन्य आराजी भी कय की थी जिस बावत [illegible] होने से उक्त खसरा [illegible] का विवरण वाद मे पेश नही किया जा रहा है। इस प्रकार ग्राम बारापत्थर की आराजी मुतनाजा वादीगण के पति / पिता की कयशुदा होने से वादीगण उक्त आराजी पर कदीम से काबिज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। पूर्व चौसाला खसरा नम्बर 749 रकबा 6-5-0 की आराजी के मूल खातेदार वर्किंग जमाबंदी मे रामपाल पुत्र नोन्दा लक्ष्मण पुत्र दीपा गणेश चन्दा पि पूरा व रामचन्द्र पुत्र चतरा थे। उक्त खातेदारो मे से रामपाल पुत्र नोन्दा लक्ष्मण पुत्र दीपा व रामचन्द्र पुत्र चतरा उक्त विक्रय पत्र तस्दीक दिनाक 22.05.1958 से पूर्व ही नाऔलाद फौत हो गये थे। उक्त मृत खातेदारो के वर्तमान मे व विक्रय पत्र तस्दीक के समय कोई विधिक वारिस नही होने के कारण चौसाला खसरा नम्बर 749 वर्किंग खसरा नम्बर 801 रकबा 6-5-0 की आराजी का सम्पूर्ण रकबा विधिक अधिकारी व तत्कालीन खातेदार गणेश व चन्दा पि0 पूरा द्वारा वादीगण के पति/पिता का विक्रय कर दिया। किन्तु राजस्व अभिलेख मे मृत खातेदार रामपाल पुत्र नोन्दा, लक्ष्मण पुत्र दीपा व रामचन्द्र पुत्र चतरा की विरासत दर्ज नही होने के कारण विक्रय पत्र का नामान्तकरण तस्दीक करते समय मात्र गणेश व चन्दा पि0 पूरा का हिसा ही केता के नाम दर्ज किया गया शेष खातेदारो का हिस्सा केता/वादीगण के नाम गलती से दर्ज नही किया गया। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद विक्रय पत्र की पालना मे सम्पूर्ण आराजी मुनाजा वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु यह वाद श्रीमान् की सेवा मे पेश किया जा रहा है। आराजी मुतनाजा के विकेता की जाति बैरवा है जोकि अनुसूचित जाति वर्ग के है तथा वादीगण/पूर्वज/केता की जाति अनुसूचित जाति वर्ग की नही है। किन्तु उक्त विकय पत्र दिनाक 22.05.1958 को तस्दीक होने के कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से उक्त प्रकरण वर्जित नही है। इस सम्बन्ध मे आराजी मुतनाजा बाबत पूर्व मे विचाराधीन प्रकरण सख्या 187/80 सरकार बनाम रामपाल वगै0 में सहायक जिलाधीश व दण्डनायक, अजमेर के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित विकय पत्र को सही माना है। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी सख्या 2 से 4 का नाम तर्क कर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक वादीगण घोषित की जावे। तथा प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तामीली कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी सख्या 2 से 4 की कई वर्षो पूर्व नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी तथा प्रतिवादीगण /वारिसान की तलबी हेतु अखबार प्रकाशन करवाया गया। किन्तु प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति वर्ग से कय करने के कारण राजस्थान काश्मकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लघंन है। विकय की गयी आराजी सभी खातेदारो द्वारा विकय नही की गयी है। विकय की गयी आराजी का नामानतकरण पूर्व मे खुला हुआ है। अतः वाद पत्र खारिज योग्य है।

प्रकरण मे निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजो की विधिक कयशुदा है ?

-- वादीगण

2. आया विकय पत्र आर.टी.ए. की धारा 42 के उल्लघन से बाधित है अतः वाद खारिज योग्य है ?

-- प्रतिवादी संख्या 1

3. आया विकय पत्र मे वादीगण के पूर्वज द्वारा प्रतिवादी सख्या ... का हिस्सा कय किया गया अतः वादीगण सम्पूर्ण हिस्से पर खातेदारी ... के अधिकारी है ?

-- वादीगण

3. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में जसवत सिंह व प्रेम पुत्र भेलाशंकर के

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

... दर्ज करवायी राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये। ... पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है –

तनकी संख्या 1 व 3 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 749 रकबा 6–5–0 की आराजी वादीगण के पूर्वज ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 22.5.1958 को गणेश, चन्द्रा पि0 पूरा से क्रय कर ली थी। क्रय दिनाक सेही उक्त आराजी पर वादीगण/पूर्वज का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विक्रय के बाद खातेदारो के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। आराजी के मूल खातेदार वर्किंग जमाबंदी मे रामपाल पुत्र नोन्दा, लक्ष्मण पुत्र दीपा, गणेश, चन्द्रा पि. पूरा व रामचन्द्र पुत्र चतरा थे। गणेश व चन्द्र पि0 पूरा द्वारा उक्त आराजी का बैचान किया गया। उक्त सम्पूर्ण आराजी को विकेता द्वारा वादीगण के पूर्वज को बैचान किया गया विक्रय पत्र मे भी हिस्से की जगह सम्पूर्ण आराजी का बैचान किया हुआ है। वादीगण का कथन है कि रामपाल पुत्र नोन्दा, लक्ष्मण पुत्र दीपा व रामचन्द पुत्र चतरा विक्रय दिनाक से पूर्व ही फौत हो गये थे उक्त विकेता को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 मुर्तिब किया है किन्तु तामीली कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार उक्त तीनो व्यक्तियो की कई वर्ष पूर्व नाऔलाद मृत्यु हा गयी है। इस बाबत तहसीलदार नसीराबाद से भी मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार नसीराबाद ने रिपोर्ट मे अवगत कराया कि उक्त नाम के कोई व्यक्ति जाति बैरवा से संबधित वर्तमान मे निवास नही करते है। तथा इनके वारिसों के बारे भी कोई जानकारी नही दी गयी आराजी मुतनाजा पर क्रय दिनाक से ही कब्जा वादीगण का बताया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सीमा ज्ञज्ञन मौका पर्चा दिनाक 23.11.21 मे भी आराजी मुतनाजा पर कब्जा वादीगण का ही होना बताया गया है। अखबार प्रकाशन के बावजूद भी प्रतिवादीगण अथवा उनके वारिस प्रकरण मे उपस्थित नही हुये है। प्रकरण मे वाद पत्र के खण्डन हेतु कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से वाद के कथनो की पुष्टि होती है। आराजी मुतनाजा के वर्किंग खसरा नम्बर 801 व हाल खसरा नम्बर 994 रकबा 1.02 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम दर्ज कर दिया है। जबकि विक्रय पत्र अनुसार सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण/क्रेता का नाम दर्ज होना था। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण सम्पूर्ण आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख मे तत्कालीन खातेदार रामपाल पुत्र नोन्दा, लक्ष्मण पुत्र दीपा, गणेश, चन्द्रा पि पूरा व रामचन्द्र पुत्र चतरा थे। उक्त खातेदारो अनुसूचित जाति वर्ग के है। वादीगण/पूर्वज अन्य जाति वर्ग के है। राज0 पैरोकार का कथन है कि उक्त विक्रय पत्र द्वारा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] होता है अतः वाद खारिज योग्य है। किन्तु वादीगण द्वारा पत्रावली में स[illegible]ीश एव कार्यपालक दण्डनायक अजमेर के यहा पूर्व में निर्णित [illegible] 87/80 [illegible] बनाम रामपाल वगै0 मे पारित आदेश दिनाक 30.12.81 की प्रति [illegible] है। जिसके [illegible] जारी कर बहस सुनी गयी। पूर्व मे पेश बैनामे का अव[illegible] गणेश व चन्द्रा पि0 पूरा जाति बैरवा ने दिनाक 20.5.1958 को बैचान किया है। इस प्र[illegible] बैचान राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनाक 24.04.1968 के पूर्व का है अतः अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...ना पत्र दाखिल दफ्तर हो। उक्तानुसार आराजी मुतनाजा का बैयान दिनांक 24.04.1968 से पूर्व का होने के कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान प्रकरण में लागू नही होते है। उनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बारापत्थर के खसरा नंबर 994 रकबा 1.02 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पत्रावली डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/2/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे हुक्मनामा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जसवंत सिंह बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत   धारा 88 188 राज का अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 145 / 2021
पेश करने की दिनांक – 25.11.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्ता रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)–व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

ग्राम बारापत्थर के खसरा नबर 994 रकबा 1.02 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 02 सन 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:58 IST
Reason: SelfAttested